SHRI K. MALLANA: The Committee has visited some capitals and towns. The Committee has to see the rural side is also attended to. So, I request the Hon. Member to withdraw his objection and give permission to move this Motion.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, I sought an assurance from the Chairman.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has explained the poition.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, I would like to know whether this will be last extension or he will again come to the House for further extension?

SHRI K. MALLANNA: Sir, as far as possible I will try not to seek further extension.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do further extend upto the last day of the Monsoon Session, 1982, the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954."

The Motion was adopted

14.55 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Demands of retired Defence Employees

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मुझे इस बात का गौरव है कि मैं भी फौजी का लड़का हूं । भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रित परिवारजनों को जो पेंशन दी जाती हैं, उसमें विषमता नहीं होनी चाहिए । भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को पेंशन दिये जाने की सुविधा होनी चाहिए । जो जनवरी, 1964 और 1968 से पूर्व रिटायर हुए हैं, उनको वर्तमान नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन दी जाए । अगर वह साधारण जीवन से ज्यादा समय तक जीवित रहता है, तो ऐसे सिपाही को जो पेंशन उनकी रिटायरमेंट पर दी गई थी, उसको पुनः जारी किया जाए । भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपना सेवाकाल पूरा कर लिया है, उनको 58 साल तक ही आयु तक पेंशन की गारण्टी दी जाए । इस व्यवस्था में योग्यता का अभाव या कोई कमी-वेशी को मद्दे नजर रखते हुए इंकार नहीं होना चाहिए । उनकी रुचि अनुकूल कारोबार या पेशा अपनाने की व्यवस्था रिटायरमेंट से पूर्व की जानी चाहिए । सेवाकाल के दौरान में ही रुचि अनुकूल पेशों में योग्यता हासिल करने की व्यवस्था कराई जाए । रिकार्ड कार्यालय के अनुसार रिटायर्ड सैनिकों की कार्य के प्रति क्षमता और योग्यता को देखते हुए रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए । जो आरक्षित कोटा है, वह सकल भारत में एक समान होना चाहिए ।

भूतपूर्व सैनिकों की जब पुनर्नियुक्ति की जाए तो उसमें उनकी योग्यता व शैक्षणिक योग्यता को ही ध्यान में रखा जाए, न कि रिटायरमेंट के समय जो अंतिम रैंक था, उसको आधार बनाया जाए । उनकी समूची सेवा को सीनियोरिटी दराज करने के लिए या प्रोमोशन के समय जैसे ही ई० सी० ओ० के केस में किया जाता है, ही करना चाहिए । जो पेंशन उनको भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मिलती है, वह उनकी भूतपूर्व सेवा का प्रतिफल है ।

जिसको नई नियुक्ति की तनख्वाह में से न काटा जाए।

(ii) Need to check indecent display of Women in advertisements

श्रीमती माधुरी सिंह (पुणिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। इस विषय का नारी के स्वाभिमान और भारत की सभ्यता और संस्कृति से गहरा सम्बन्ध है। आजकल विज्ञापनों में नारी का अधिक उपयोग किया जाता है। सौन्दर्य प्रसाधन, फिल्म-विज्ञापन, दवाइयां, साइकिल टायर, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीजों को बिक्री के विज्ञापन में नारी का प्रदर्शन किया जाता है। कुछ विज्ञापनों में इतना अभद्र और घृणित प्रदर्शन होता है कि हम उन की ओर देखना भी पसन्द नहीं करते। कुछ चीजें जिनका महिलाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है उन पर भी नारी के चित्र विज्ञापनों में इस्तेमाल किया जाते हैं। इससे अनुचित मनोवृत्ति पैदा होती है। नारियों के बीभत्सक और खुले चित्र प्रदर्शन के लिए समाज तो दोषी है किन्तु सरकार इसे रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठा सकती है। समाचार पत्रों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने में विज्ञापनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सरकारी एजेंसियां ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन न दें जो नारी के चित्रों का कुत्सित रूप में प्रयोग करते हैं तो स्थिति में सुधार हो सकता है। विज्ञापन का ध्येय किसी वस्तु का प्रचार एवं उस की बिक्री बढ़ाना है किन्तु उस में नारी चित्रों का उपयोग संयत रूप में निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। नारी को अश्लील रूप में दिखाना कदापि उचित नहीं हो सकता। प्रेस काउन्सिल आफ़ इंडिया, समाचार पत्रों के अन्य संगठन और सरकार को मिल कर विज्ञापनों में नारी चित्रों के अविवेक-पूर्ण प्रयोग को रोकने के लिए आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस विषय में सक्रिय कदम उठाये।

(iii) Research to identify Commercially viable raw material for newsprint

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambulpur): The newsprint industry is facing a crisis due to inadequate production, inferior quality of output and the inability of the country's three newsprint plants to step up production in the near future. Indigenous production of newsprint last year was 63,000 tonnes against the requirement of 2.4 lakh tonnes. The situation is likely to be worse this year, as some mills have been suffering production loss mainly because of erratic power supply and frequent trippings.

The dwindling raw material resources, the dependence on official agencies for the supply and the cost escalating constraint in regard to pollution control regulations are among other inhibiting factors which have led to the crisis in the industry. The delay in improving the situation may lead to the closure of some industry. Thousands of workers, most of whom are tribals, may be thrown out of employment. The removal of crisis from those industries is a question of life and death for those workers.

Therefore, Central Government should intervene in the matter. I suggest to the Government to intensify research to identify commercially viable raw material alternatives and develop appropriate technology for optimum utilization of available raw material. All possible efforts should be made by he Government of India to help the three newsprint plants existing in the country.

(iv) Need for raising the financial limits for Construction of Hostels and residential School's for Scheduled Castes and Schedu'ed Tribes Students in Tribal Areas of Orissa

*SHRI LAKSHMAN MALLICK (Jagatsinghpur): The estabishment of